संख्या-11/2022/एस-2-।/160441/दस-2022-211/2021

प्रेषक,

एस0राधा चौहान,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
कोषागार, उ0प्र0 लखनऊ।

वित्त (सेवायें) अनुभाग-2 लखनऊ :: दिनॉक:: 28 अप्रैल, 2022

विषय- मण्डलों में तैनात अपर निदेशकों एवं संयुक्त निदेशकों के मध्य कार्यों का निर्धारण।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशक, कोषागार के पत्र संख्या-54/को0नि0/स्टाम्प/2020, दिनॉक 05-04-2022 एवं पत्र संख्या-129/को0नि0/स्टाम्प/2020, दिनॉक-11-04-2022के संदर्भ में सम्यक विचारोपरान्त शासनादेश संख्या-21/2020-एस-2-651/दस-2020-33(63)/98 दिनांक 28मई, 2020 को अवक्रमित करते हुए मण्डलीय अपर निदेशकों एवं संयुक्त निदेशकों के कार्य एवं दायित्वों का निर्धारण निम्नवत किये जाने का मुझे निदेश हुआ है:-

क्र0	पदनाम	कार्य/दायित्व
1	2	3
1	अपर निदेशक, कोषागार एवं पेंशन।	श्रेणी.-II के अधिकारियों एवं विद्युत विभाग तथा बेसिक शिक्षा विभाग के कार्मिकों के पेंशन निर्धारण/स्वीकृति के कार्य सहित मण्डलीय कार्यालय का प्रशासनिक/पर्यवेक्षणीय नियंत्रण, मण्डल के अधीन कोषागारों के निरीक्षण का कार्य एवं दायित्व निभाया जायेगा। ई-पेंशन प्रणाली के अन्तर्गत उक्त श्रेणी/विभाग के समस्त कार्मिकों के पेंशन प्रकरणों के निस्तारण हेतु उत्तरदायी होंगे।
2	संयुक्त निदेशक, कोषागार एवं पेंशन।	श्रेणी.-II से निम्न श्रेणी के समस्त कार्मिकों के पेंशन निर्धारण/स्वीकृति का कार्य किया जायेगा। ई-पेंशन प्रणाली के अन्तर्गत श्रेणी.-II से निम्न समस्त कार्मिकों के पेंशन प्रकरणों के निस्तारण हेतु उत्तरदायी होंगे।

एस0राधा चौहान
अपर मुख्य सचिव।

संख्या-11/2022/एस-2-।/160441(1)/दस-2022, तददिनॉक।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- निदेशक, पेंशन, उ0प्र0 लखनऊ ।
2- समस्त अपर निदेशक, कोषागार एवं पेंशन, उ0प्र0 ।
3- समस्त संयुक्त निदेशक, कोषागार एवं पेंशन, उ0प्र0 ।
4- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(सजीवन)
उप सचिव।